इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141] भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 मार्च 2021—फाल्गुन 19, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2021

क्र. एफ 2-11-2021-61-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-14.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक-2-13-2012-61-लो.से.प्र.-पी.एस.जी.-04, दिनांक 10 अप्रैल, 2013 में राजस्व विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाओं को अधिसूचित किया गया है.

2. राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राजस्व विभाग की सेवा क्रमांक 4.13 ''भूमि का सीमांकन करना'' की पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक-2-13-2012-61-लो.से.प्र.-पी.एस.जी.-04, दिनांक 10 अप्रैल, 2013 के कॉलम 4 ''सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा'' में दर्ज 30 कार्य दिवस को संशोधित करते हुए 45 कार्य दिवस किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.